



न्यायालय श्रीमान राजस्व संडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

R. 3026 - PBR/14

रटो प्रको :-----

प्रस्तुति दिनांक:---

पुनरीक्षण कर्ता ~~XX~~ आवेदिका :-- श्रीमति गीताबाई देवा बाबूलाल बाबु  
निवासी ग्राम रहटा कलाँ तहसीरा ~~हजारा~~ हजारा  
हरदा.

श्री ओ.पी. शर्मा जी  
अभिभाषक अथवा आज दिनांक  
28-8-14 को भोपाल कैम्प पर

क्रि.सं

उत्तरवादी : अनावेदक:--- लजमोहन आठो रामदयाल गूजर  
निवासी ग्राम बंदी मुहार्डिया तहसीरा लखी जिला  
हरदा {मोप्रो}

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मो प्रो भू 0 रटो सं०.

30.8.14

उपरोक्त पुनरीक्षण कर्ता : आवेदिका श्रीमान

राजस्व निरीक्षण महोदय द्वारा रटो प्रको 383/12 वर्ष 2011-12 मे  
पारित सीमांकन आदेश दिनांक 23-5-12<sup>10-7-12</sup> एवं प्रतिवेदन पंचनामा कार्यवाही  
दिनांक <sup>28-12-2016</sup> 20-5-12 से <sup>an</sup> हटाय होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों के अतिरिक्त  
अन्य आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते हैं :--

// त ध य //

॥ १ ॥ यहकि, याचिकाकर्ता के नाम पर राजस्व अभिलेखों मे  
भूमि खसरा क्रमांक 465/1 रकबा 4.644 हे० स्थित, ग्राम रहटा कलाँ की दर्ज

R 3026 P/2/14 हस्त

24.5.2017

Time 1/2

आवेदक की ओर से श्री  
श्री 0010 खरगांव आभेभाषक उपस्थित।  
अग्रिम का सुना गया। यह सिगरेट  
आदेश दिनांक 27-5-2012 के विरुद्ध  
इस न्यायक्रम में दिनांक 28-8-2014  
को लगभग 2 वर्ष विराम से प्रस्ता  
की की गई है, और विराम का  
समाधान- काय आवेदक के आभेभाषक  
नहीं बतला सके। और यह सिगरेट  
अवधि बाध्य होने से अग्रिम की  
जाती है।

24/5/17  
24/5/17  
NF 24/5

अग्रिम